The Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023 ? passed

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): सभापति महोदय, हमारे ठीक सामने यहां पर शोर-शराबा हो रहा है। यदि आपकी इजाजत हो तो क्या मैं पीछे जाकर अपनी बात रख सकता हूं? ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा यहां विचार व्यक्त करना संभव नहीं है। मैं आपकी इजाजत चाहता हूं। ? (व्यवधान) ऐसी स्थिति में मैं यहां से नहीं बोल सकता, इसलिए मैं आपकी परमिशन चाहता हूं, ताकि मैं पीछे जाकर अपने विचार रख सकूं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: जी हां।

श्री राज नाथ सिंह: धन्यवाद सभापति महोदय।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपको निर्णय नहीं करना है। आप शांत हो जाइए। आप अपने स्थान पर जाकर बैठिए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह अच्छी स्थिति नहीं है कि हंगामे के कारण माननीय मंत्री जी को किसी अन्य सीट से अपनी बात कहनी पड़ रही है। यह अच्छी बात नहीं है। आप सभी अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। आप सब शांत रहिए। माननीय मंत्री जी।

? (व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं:

> ?कि सेना कार्मिक, जिनको वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के चीफ कमांडर या कमांड आफिसर को सशक्त करने के लिए और उससे संलग्न या आनुषंगिक विषयों का उपबंध वाले विधयेक पर विचार किया जाए।?

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ अपने कुछ विचार भी इस संबंध में व्यक्त करना चाहता हूं। ? (व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार नये-नये रिफॉर्म्स के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। ? (व्यवधान) सारा देश जानता है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने लगभग हर क्षेत्र में नई-नई पहलें की हैं। पुराने अनेक कानूनों को जहां हमने समाप्त किया है, वहीं पर जहां जरूरत पड़ी है, पुराने जो नियम और कानून रहे हैं, उन नियम और कानूनों में हमने संशोधन भी किया है। ? (व्यवधान) लोक सभा में पेश किया यह, The Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023 भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।

सभापति महोदय, यह बिल दो महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। ? (व्यवधान) यह हमारी ऑर्म्ड फोर्सेज के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ? (व्यवधान)

जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा, जो हमारे इंटर-सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को मज़बूत करेगा। मैं इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ?(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि अनुशासन ही सेना की आत्मा होती है। यह उनके चरित्र और संकल्प को भी मज़बूत करता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक यूनिट या स्टैब्लिशमेंट के सैनिकों को एकजुट करने में भी मदद करता है। इसलिए कभी किसी भी

परिस्थिति में अनुशासनहीनता का कोई भी मामला सामने आता है, तो उसके बारे में निर्णय जल्द से जल्द आवश्यक हो जाता है। अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 किसी इंटर सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई किए जाने का एक प्रावधान करता है।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, वर्तमान में भारतीय सेना, नौसेना और हमारी वायु सेना के पर्सनेल अपने रेस्पेक्टिव एक्ट अर्थात् आर्मी एक्ट, 1950, नेवी एक्ट, 1957 तथा एयरफोर्स एक्ट, 1950 और उसके तहत बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार गवर्न्ड होते हैं।?(व्यवधान) जिस समय ये कानून बने थे, उस समय अधिकांश सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सनेल्स सेना के एक ही अंग होते थे। तद्नुसार इन एक्ट्स में निहित प्रोविजंस को एक स्पेसिफिक सर्विस के यूनिक वर्किंग एन्वॉयरमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। परिणामस्वरूप इन एक्ट्स के तहत कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड अपनी डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग अपनी ही सर्विस के पर्सनेल्स पर कर सकते हैं। उन्हें दूसरी सर्विसेज़ से संबंधित पर्सनेल्स, जो उनके संगठन में कार्य कर रहे हैं, पर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, इन प्रोविजंस के कारण एक विशेष स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब विभिन्न सर्विसेज़ के पर्सनेल किसी इंसीडेन्ट में इन्वॉल्व होते हैं और उन पर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए इंटर-सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत पर्सनेल को उनके पैरेन्ट्स सर्विस यूनिट्स में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसमें न केवल अधिक समय लगता है, बल्कि पर्सनेल की आवाजाही के कारण धन भी व्यय होता है और उनको न्याय मिलने में भी स्वाभाविक रूप से देर होती है।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, इसके अलावा एक ही ऑफेंस के लिए अलग-अलग जगहों की एड्जूडिकेटिंग अथॉरिटीज़ के अलग-अलग निर्णय के कारण स्वाभाविक रूप से विसंगतियां भी पैदा होती हैं। इसलिए सभी इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुखों के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन को बनाए रखने और उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए एक इनेबलिंग एक्ट बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। तद्नुसार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनपुट्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के परामर्श से अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को ड्रॉफ्ट करने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी गठित की थी।?(व्यवधान)

संयुक्त रूप से या एकजुट होकर कार्य करने के लिए इंटीग्रेशन की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़ती ही पड़ती है और ज्वाइंटनेस को प्रमोट करने के लिए जो भावना होनी चाहिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह भावना इस बिल में निहित है। यह इंटर-सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुखों को बेहतर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जो मिलनी चाहिए, वह यह प्रदान करता है, जिससे वे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में प्रभावी कमांड, कंट्रोल व डिसिप्लिन बना सकेंगे और हमारे सुरक्षा ढांचे को और भी अधिक मजबूत कर सकेंगे।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सैन्य सुधारों की दिशा में यह बिल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस बिल से कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इस सदन को मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> ?कि सेना कार्मिक, जिनको वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के चीफ कमांडर या कमांड आफिसर को सशक्त करने के लिए और उससे संलग्न या आनुषंगिक विषयों का उपबंध वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। देश की सुरक्षा और सुरक्षा बलों से संबंधित बिल है। आपको इस बिल में भाग लेना चाहिए। आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए। आप इतने तटस्थ नहीं रह सकते हैं।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज आप सब बैठिए। आप बात को सुनिए और अपनी बात कहिए। आप बिल के विचार-विमर्श में भाग लीजिए, जैसा आपने कल किया था।

? (व्यवधान)

कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे यह बहुत ही सरल बिल है और इसकी जरूरत है। मैं सरलता में आपको बताऊं, जैसे इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप में अनुशासन की ताकत न हो और इन पार्टियों के मुख्यालय में हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल होगी। ? (व्यवधान) उसी तरह से इंटर सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशन की आज जरूरत पड़ गई। 21 वीं सदी के युद्ध की स्थिति को देखते हुए कि अलग-अलग फोर्सेज़ एक साथ मिलकर काम करें, इसी कारण यह इंटर-सर्विसेज़ बिल लाया गया है। ? (व्यवधान)

महोदय, अभी परिस्थिति यह है कि जैसे, अण्डमान और निकोबार कमांड को बनाया गया और उसका जॉइंट कमांड नाम दिया गया, लेकिन जब वहां आकर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सैनिक काम करते हैं और उनके लिए अनुशासन या एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करनी होती है तो उसके लिए वापस उनको उन्हीं की सर्विस में भेजना पड़ता है।? (व्यवधान) उससे फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस भी होते हैं, समय भी जाया होता है और अनुशासनहीनता रहती है। तेज गति से काम करना, हाई प्रेशर एन्वायरनमेंट में काम करना, एक सटीक तरीके से ऑपरेशंस करना, यह भारतीय सेना की जिम्मेदारी रहती है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आज के हालात में यह बहुत जरूरी है कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उस कमांडिंग ऑफिसर या कमांडर इन चीफ के पास हों, जिससे तीनों सर्विसेज़ या कोई अन्य फोर्स के जो अधिकारी हैं, उनको अनुशासन के अंदर लाया जा सके और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कर सके। ? (व्यवधान)

महोदय, एक भारतीय सैनिक और एक नागरिक होने के नाते इस बात की बधाई देता हूं कि मोदी सरकार ने हमेशा भारतीय सेना की जरूरतों को अहमियत दी है, भारत की सुरक्षा को अहमियत दी है, चाहे वह बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, जो तेज गति से बढ़ रहा है और तैयार हो रहा है, चाहे दशकों से जो ?वन रैंक, वन पेंशन? की डिमाण्ड चल रही थी, वह हो। ? (व्यवधान) जो अभी नारे लगा रहे हैं, उन्होंने उसके लिए केवल 500 करोड़ रुपये रख दिए थे, लेकिन आज 65 हजार करोड़ रुपये उसके लिए खर्च हुए हैं तो यह भारत की सुरक्षा को लेकर और भारतीय सेना की तरफ एक संवेदनशीलता है। ? (व्यवधान) आज स्पेस एजेंसीज़ हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, नेशनल डिफेंस कॉलेज है, अण्डमान और निकोबार कमांड है, वैसे ही और भी कमांड्स आ सकती हैं, जिनके अंदर इंटर-सर्विसेज़ जॉइंटमेनशिप की जरूरत होगी। ? (व्यवधान)

महोदय, इस बिल के अंदर जो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के तीन एक्ट्स हैं, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए तीनों के अंदर जिस तरह से उनके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है, वह अब एक कमांडिंग ऑफिसर या कमांडर इन चीफ इस पर एक्शन ले सकता है। ? (व्यवधान) मैं किसी एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि अगर कहीं पर अनुशासनहीनता होती है तो उस एक इनडिसिप्लिन के मामले में तीन अलग-अलग जगहों पर प्रोसिडिंग्स होंगी, तीन अलग-अलग एक्ट्स के ऊपर प्रोसिडिंग्स होंगी। जब तीन अलग-अलग जगहों पर प्रोसिडिंग्स होंगी तो हो सकता है कि उसका परिणाम भी तीन अलग-अलग तरह से निकले। ? (व्यवधान) यह कितना गलत हो सकता है। इसी कारण से यह बिल लाया गया है। इस बिल के अंदर एक खास बात यह रखी गई है कि अगर युद्ध की स्थिति हो या

ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो उसके अंदर किसी भी फोर्स को चाहे वह आईटीबीपी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, उसको भी इस इंटर-सर्विसेज़ ऑर्गेनाइजेशन बिल के अंदर शामिल किया जा सकता है, ताकि कमांडर इन चीफ जो भी होगा, वह एक्शन ले सकता है। ? (व्यवधान)

मैं इस सदन के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बधाई देता हूं। जो हमारी तीनों सशक्त सेनाएं हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। एक सही समय पर, सही बिल एक्ट में तब्दील हो, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। ? (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और खास तौर से बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने मुझे यहां पर पहुंचने का अवसर दिया है।? (व्यवधान) मान्यवर, यह बिल अत्यंत ही जरूरी बिल था। आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल कमांड को एक मजबूती देने के लिए और जो इसमें चीफ ऑफ स्टाफ्स रहेंगे, उनके लिए यह अत्यंत ही जरूरी बिल है ।? (व्यवधान)

इसकी एक खासियत यह है कि पहले जो तीन एक्ट्स गवर्न करते थे, उनको एक साथ मिलाकर यह प्रस्ताव किया गया है कि अगर कोई भी पीनल एक्शन लेना हो तो वह सीधे-सीधे इसके चीफ ले सकते हैं।?(व्यवधान) इसमें एक खामी मुझे अभी भी नजर आ रही है कि जो ये तीनों एक्ट्स हैं, इनके तहत अभी अलग-अलग सजाएं दी जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि नेवी के किसी पर्सन को किसी क्राइम के लिए दो महीने की सजा होती है तो आर्मी के एक पर्सन को इसके लिए 15 दिन की सजा दी जा सकती है, इसलिए सजा देने के प्रावधानों को भी अमलगमेट करना अत्यंत जरूरी है। ?(व्यवधान) वह एक खामी के रूप में सामने आती है। ?(व्यवधान)

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।?(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री राज नाथ सिंह: सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हमारे देश के समस्त बहादुर सैनिकों, जिन्होंने देश की अखण्डता और सम्प्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, को नमन करता हूं। ?(व्यवधान) इंटर-सर्वसेज ऑर्गनाइजेशन बिल, 2023 के बारे में जो बातें मैंने पहले रखी हैं, उन बातों को यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं। ?(व्यवधान) मै इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बिल मौजूदा सेवा अधिनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है।?(व्यवधान) यह बिल केन्द्र सरकार को अंतर-सेवा संगठनों के गठन की घोषणा करने की भी शक्त प्रदान करना प्रस्तावित करता है। ?(व्यवधान)

यहां मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस (2022-2023) ने इस बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के पारित किए जाने की रिकमेंडेशन की है। ?(व्यवधान) इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि किसी ने किसी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है। ? (व्यवधान) इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> ?कि सेना कार्मिक, जिनको वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के चीफ कमांडर या कमांड आफिसर को सशक्त करने के लिए और उससे संलग्न या आनुषंगिक विषयों का उपबंध वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, प्रो. सौगत राय और डॉ. आलोक कुमार सुमन जी ने इस विधेयक पर अपने-अपने संशोधन दिए हैं। अगर वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत नहीं करना चाहते तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ सभा के समक्ष रख रहा हूं।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 15 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री राज नाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 19, माननीय मंत्री जी।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, आप लोग सदन की कार्यवाही चलने दीजिए और अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए।

माननीय मंत्री जी।

12.29 hrs